

**\*प्रेस नोट/सराहनीय कार्य-\***

**\*(पत्रांक-265/2024 दिनांक 21.09.2024)\***

**\*दिनांक-21.09.2024 को जनपद कुशीनगर पुलिस द्वारा किया गया सराहनीय कार्य-\***

**\*थाना कसया पुलिस द्वारा 01 नफर वारण्टी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार-\***

जनपद में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध तथा वाछिंत/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 21.09.2024 को थाना कसया पुलिस द्वारा मु0नं0 1807/2017 धारा 138 एनआई एक्ट में वारंटी अभियुक्त मीमांशु मिश्रा पुत्र जयप्रकाश मिश्रा साकिन प्रोपराईटर कृत्रिम एग्रो एजेन्सी गोला बाजार थाना कसया जनपद कुशीनगर को गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

**\*पंजीकृत अभियोग-\***

मु0नं0 1807/2017 धारा 138 एनआई एक्ट

**\*गिरफ्तार अभियुक्त-\***

मीमांशु मिश्रा पुत्र जयप्रकाश मिश्रा साकिन प्रोपराईटर कृत्रिम एग्रो एजेन्सी गोला बाजार थाना कसया जनपद कुशीनगर

**\*गिरफ्तार करने वाली टीम:-\***

01. प्र0नि0 गिरिजेश उपाध्याय थाना कसया जनपद कुशीनगर।
02. उ0नि0 स्वतंत्र कुमार सिंह थाना कसया जनपद कुशीनगर
03. का0 सतीश कुशवाहा थाना कसया जनपद कुशीनगर
04. का0 उमाशंकर यादव थाना कसया जनपद कुशीनगर

**\*हिन्दु युवती को भगा कर दुष्कर्म करने वाले एक अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार\***

जनपद कुशीनगर में अपराध व अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना रामकोला पर दिनांक 05.09.2024 को पीडिता के पिता द्वारा तहरीर दिया गया कि उनकी लडकी उम्र लगभग 19 वर्ष को अभियुक्त अब्दुल रहीम पुत्र कलामुद्दीन सा० पिपरावर सिवान मुगल टोली थाना रामकोला जनपद कुशीनगर द्वारा भगा कर ले जाया गया है। इस सूचना पर तत्काल घटना का संज्ञान लेते हुये थाना रामकोला पर मु0अ0सं0 385/24 धारा 87 बीएनएस पंजीकृत कराया गया। घटना के शीघ्र अनावरण हेतु अपर पुलिस अधीक्षक कुशीनगर के नेतृत्व मे टीम गठित की गयी तथा पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुये पीडिता की सकुशल बरामदगी की गयी। विवेचना के दौरान

यह तथ्य प्रकाश मे आया कि अभियुक्त अब्दुल रहीम द्वारा पीडिता को भगा ले जाया गया तथा उसके साथ दुष्कर्म किया गया।

आज दिनांक 21.09.2024 को थाना रामकोला पुलिस द्वारा घटना का सफल अनावरण करते हुये हिन्दु युवती को भगा कर एवं दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त अब्दुल रहीम पुत्र कलामुद्दीन सा० पिपरावर सिवान मुगल टोली थाना रामकोला जनपद कुशीनगर को गिरफ्तार किया गया तथा उपरोक्त मुकदमे मे धारा 64(1) की बढोत्तरी कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

**\*पूछताछ का विवरण\***

वादी की पुत्री को अभियुक्त अब्दुल रहीम पुत्र कलामुद्दीन सा० पिपरावर सिवान मुगल टोली थाना रामकोला जनपद कुशीनगर द्वारा भगा कर ले जाया गया तथा उसके साथ दुष्कर्म किया गया।

**\*पंजीकृत अभियोग-\***

मु०अ०सं० 385/24 धारा 87/64(1) बीएनएस थाना रामकोला कुशीनगर

**\*गिरफ्तार अभियुक्त-\***

अब्दुल रहीम पुत्र कलामुद्दीन सा० पिपरावर सिवान मुगल टोली थाना रामकोला जनपद कुशीनगर

**\*गिरफ्तारी/बरामदगी करने वाली टीम:-\***

1. प्र०नि० श्री आनन्द कुमार गुप्ता थाना रामकोला जनपद कुशीनगर
2. उ०नि० श्री मनोज द्विवेदी थाना रामकोला जनपद कुशीनगर
3. का० अंकुर चौधरी थाना रामकोला जनपद कुशीनगर
4. का० आशुतोष यादव थाना रामकोला जनपद कुशीनगर
5. का० आकाश पाल सिंह थाना रामकोला जनपद कुशीनगर

**\*थाना कोतवाली पडरौना पुलिस द्वारा गैर-इरादतन हत्या आदि के मुकदमे में वांछित एक महिला अभियुक्ता को किया गया गिरफ्तार-\***

जनपद में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध तथा वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 21.09.2024 को थाना कोतवाली पडरौना पुलिस द्वारा मु०अ०सं० 653/2024 धारा 115(2),352,351(3),105 बीएनएस से सम्बन्धित वांछित अभियुक्ता को गिरफ्तार कर अभियुक्ता की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त एक अदद ईट बरामद कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

**\*पंजीकृत अभियोग-\***

मु०अ०सं० 653/2024 धारा 115(2),352,351(3),105 बीएनएस

**\*गिरफ्तार अभियुक्ता-\***

एक महिला अभियुक्ता

**\*बरामदगी का विवरण-\***

घटना में प्रयुक्त एक अदद ईट

**\*गिरफ्तारी करने वाली टीम-\***

1. प्रभारी निरीक्षक आशुतोष कुमार सिंह थाना को0 पडरौना जनपद कुशीनगर
2. 30नि0 आकाश गिरी थाना को0 पडरौना जनपद कुशीनगर
3. म0उ0नि0 प्रींसी पाण्डेय थाना को0 पडरौना जनपद कुशीनगर
4. का0 नितिश यादव थाना को0 पडरौना जनपद कुशीनगर
5. म0का0 चांदनी दूबे थाना को0 पडरौना जनपद कुशीनगर
6. का0 सुनील चौहान थाना को0 पडरौना जनपद कुशीनगर

**\*थाना अहिरौली बाजार पुलिस द्वारा 02 नफर वारण्टी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार-\***

जनपद कुशीनगर में अपराध व अपराधियों के विरुद्ध एवं वांछित/वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 21.09.2024 को थाना अहिरौली बाजार पुलिस द्वारा मु0नं0 687/2021 धारा 304 भादवि से सम्बन्धित वारण्टी अभियुक्त मोनू सिंह पुत्र स्व0 बीरबल सिंह साकिन मधवलिया थाना अहिरौली बाजार जनपद कुशीनगर तथा मु0नं0 3456/2013 धारा 323/324/504/506 भादवि से सम्बन्धित वारण्टी शिवभागवत पुत्र शिवपूजन साकिन भलुहा छोटा टोला थाना अहिरौली बाजार जनपद कुशीनगर को गिरफ्तार कर अग्रिम आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

**\*पंजीकृत अभियोग-\***

1. मु0नं0 687/2021 धारा 304 भादवि थाना अहिरौली बाजार जनपद कुशीनगर
2. मु0नं0 3456/2013 धारा 323/324/504/506 भादवि थाना अहिरौली बाजार जनपद कुशीनगर

**\*गिरफ्तार वारण्टी अभियुक्तगण-\***

1. मोनू सिंह पुत्र स्व0 बीरबल सिंह साकिन मधवलिया थाना अहिरौली बाजार जनपद कुशीनगर
2. शिवभागवत पुत्र शिवपूजन साकिन भलुहा छोटा टोला थाना अहिरौली बाजार जनपद कुशीनगर

**\*गिरफ्तार करने वाली टीम-\***

1. 30नि0 पुरुषोत्तम पाण्डेय थाना अहिरौली बाजार जनपद कुशीनगर
2. 30नि0 मारकण्डेय यादव थाना अहिरौली बाजार जनपद कुशीनगर
3. कां0 मारकण्डेय यादव थाना अहिरौली बाजार जनपद कुशीनगर

#### 4.म0आ0 निरमा थाना अहिरौली बाजार जनपद कुशीनगर

##### **\*शान्ति भंग में की गयी निरोधात्मक कार्यवाही-\***

जनपद कुशीनगर के विभिन्न थानों की पुलिस द्वारा 46नफर अभियुक्तों को शान्ति भंग में गिरफ्तार कर धारा 170बीएनएसएस के अन्तर्गत आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की गयी।

##### **\*कार्यवाही एक नजर में=\***

- 1- मोटर वाहन अधिनियम में की गयी कार्यवाही-सीज-00, ई-चालान-00वाहन
- 2- 126/135 बीएनएसएस में की गयी कार्यवाही-मु0-67,व्यक्ति-203
- 3- वांछित/वारंटी/अन्य अपराधों में अभियुक्तों की गिरफ्तारी-(05)
- 4-जनपद में कुल गिरफ्तारी-(कुल-51)

##### **\*सोशल मीडिया सेल\***

##### **\*जनपद कुशीनगर\***